सं. 020/वीजीएल/054-502950
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली
दिनांक : 03.02.2022

परिपत्र संख्या 07/02/22

विषय:- संगठन की सतर्कता इकाई में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण/पदस्थापन के संबंध में।

संदर्भ:-	**(i)**	**आयोग का परिपत्र संख्या 98/ वीजीएल /60**	**दिनांक 15.04.1999**
	(ii)	**आयोग का परिपत्र संख्या 98/ वीजीएल /60**	**दिनांक 02.11.2001**
	(iii)	**आयोग का परिपत्र संख्या 17/4/08**	**दिनांक 01.05.2008**
	(iv)	**आयोग का परिपत्र संख्या 02/01/12**	**दिनांक 04.01.2012**
	(v)	**आयोग का परिपत्र संख्या 03/09/13**	**दिनांक 11.09.2013**
	(vi)	**आयोग का परिपत्र संख्या 03/04/21**	**दिनांक 05.04.2021**

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपने परामर्शी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संगठनों के सतर्कता प्रशासन पर पर्यवेक्षण बनाए रखने से संबंधित अपने कार्यों के एक भाग के रूप में, संबंधित संगठनों की सतर्कता इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं । विभिन्न संगठनों से प्राप्त सूचना/ अनुरोधों के आधार पर और मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित डीओपीटी के दिनांक 28.04.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 372/7/2016-एवीडी-III को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने संबंधित संगठनों की सतर्कता इकाईयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण/पदस्थापन से संबंधित मामलों पर पुनर्विचार किया है।

2. आयोग ने निदेश दिया है कि किसी संगठन की सतर्कता इकाई में किसी अधिकारी/कर्मचारी की प्रारंभिक पदस्थापना केवल तीन वर्ष की अवधि के लिए होनी चाहिए। यदि आवश्यक समझा जाए, तो सतर्कता अधिकारी का कार्यकाल कम से कम तीन महीने और अधिकतम दो वर्ष के लिए, जो उसकी दक्षता, सत्यनिष्ठा और उसके वर्तमान कार्य को पूरा करने की आवश्यकता आदि के आधार पर, समीक्षा करने के बाद ही बढ़ाया जाए । सतर्कता इकाई में कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी का तीन वर्ष से अधिक बने रहना, संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी की स्वीकृति के आधार पर ही होगा । यदि, मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद रिक्त है, तो कार्यकाल को तीन वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए सतर्कता इकाई के प्रमुख की स्वीकृति आवश्यक होगी।

3. किसी अधिकारी/कर्मचारी का सतर्कता इकाई से स्थानान्तरण होने के पश्चात, यदि उसे सतर्कता इकाई में पुन: पदस्थापित करने पर विचार करना आवश्यक हो, तो उसकी पूर्व में वहां की गई सेवा अवधि विचार किए बिना, उसे कम से कम दो वर्ष की उपशमन-अवधि (कूलिंग ऑफ पिरीअड) को पूरा करना आवश्यक होगा।

4. आयोग ने आगे यह निदेश दिया है कि संबंधित संगठन, उन अधिकारियों / कर्मचारियों की पहचान कर लें जिन्होंने सतर्कता इकाई में 31.03.2022 को तीन वर्ष/पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है तथा इसके लिए एक प्रक्रिया संचालित करें और अधिकतम 31.03.2022 तक इसे पूर्ण कर लें। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवा तीन वर्ष से अधिक समय की अवधि के लिए आवश्यक है, तो ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान की जाए और उन्हें सतर्कता इकाई में उन्हें बनाए रखने (न्यूनतम तीन महीने की अवधि और अधिकतम दो वर्ष तक की अवधि के लिए) की प्रकिया को 31.03.2022 तक पूर्ण कर ली जाए। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने 31.03.2022 को तीन वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और उनकी सेवा अवधि को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं किया जा रहा है, उन्हें अधिकतम 30.06.2022 तक स्थानांतरित कर दिया जाए। इससे अतिरिक्त, उन अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में, जिन्होंने 31.03.2022 को पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, सतर्कता इकाई से उनके स्थानांतरण और कार्यमुक्ति का कार्य भी 30.06.2022 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। ऐसे सभी सतर्कता कर्मियों के प्रतिधारण/स्थानांतरण के संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट जून, 2022 से शुरू होने वाली तिमाही निष्पादन रिपोर्ट के पैरा (9) के अंतर्गत सूचित/ अपलोड की जाए।

5. यह ध्यान में रखा जाए कि उपर्युक्त दिशानिदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि:-

(क) सतर्कता इकाई में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहमति और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना तीन वर्ष की अवधि से अधिक नहीं रखा जाए।

(ख) कोई भी अधिकारी/कर्मचारी तीन वर्ष के प्रारंभिक कार्यकाल के बाद, जिस अवधि के लिए विस्तार दिया गया है (विस्तारित अवधि न्यूनतम तीन माह और अधिकतम दो वर्ष तक हो सकती है), उसके बाद सतर्कता इकाई में नहीं रहना चाहिए।

(ग) सतर्कता अधिकारी की कार्य निष्पादनहीनता या किसी अन्य संवेदनशील मुद्दे के कारण, सक्षम प्राधिकारी मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहमति से उस सतर्कता अधिकारी/कर्मचारी को सतर्कता इकाई में पदस्थापन के दौरान किसी भी समय स्थानांतरित कर सकते हैं।

6. यदि किसी अधिकारी के प्रतिधारण/स्थानांतरण के संबंध में मुख्य सतर्कता अधिकारी और सक्षम प्राधिकारी के बीच असहमति होती है और जिसका कोई अंतिम समाधान नहीं निकलता है, तो ऐसे मामले को अंतिम निर्णय के लिए संबंधित संगठन के मुख्य कार्यकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए । यदि सक्षम प्राधिकारी संगठन के मुख्य कार्यकारी हैं, तो मामले के समाधान हेतु संगठन के निदेशक मंडल/शासी निकाय या प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7. सतर्कता इकाइयों में उचित जनशक्ति सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध करवायी जानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण के समय उचित प्रतिस्थापन उपलब्ध करवा दिया गया है, जिससे कि सतर्कता इकाइयों में यथोचित जनशक्ति बनाए रखी जा सके।

8. उपर्युक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु नोट किया जाए।

ह०/-
(राजीव वर्मा)
निदेशक

सेवामें,

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों के सचिव

(ii) सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/स्वायत्तशासी निकायों आदि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(iii) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों /स्वायत्तशासी निकायों आदि के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

(iv) केंद्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट